संख्या-46/2023/001-2381960/12-2002/8/2021

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 मई, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-75/कृ0र0/छ-1/की.रो.नि.यो./2023-24, दिनांक 17 अप्रैल, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना में प्राविधानित धनराशि रूपये 2096.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों यथा 02-मजदूरी में रू० 45 लाख, 04-यात्रा व्यय में रू० 15.00 लाख, 08-कार्यालय व्यय में रू० 12.00 लाख, 09-विद्युत देय में रू0 22.00 लाख, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई में रू० 10.00 लाख, 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रू० 10.00 लाख, 13-टेलीफोन पर व्यय में रू० 6.00 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू० 30.00 लाख, 27-सब्सिडी में रू० 1550.00 लाख, 29-अनुरक्षण में रू० 25.00 लाख, 42-अन्य व्यय में रू० 60.00 लाख, 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू० 250.00 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू० 40.00 लाख, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में रू० 10.00 लाख, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय में रू० 10.00 लाख एवं 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू० 1.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 2096.00 लाख (रूपया बीस करोड़ छियानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जायेगा। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

10. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वर्तमान में प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। अतः प्रश्नगत धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

13. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2401001070400 (विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	02 मजदूरी	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
2	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	04 यात्रा व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
3	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	08 कार्यालय व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
4	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	09 विद्युत देय	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
5	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
7	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	13 टेलीफोन पर व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
8	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
9	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	27 सब्सिडी	15,50,00,000 (रुपये पंद्रह करोड़ पचास लाख मात्र)
10	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	29 अनुरक्षण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
11	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	42 अन्य व्यय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
12	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
13	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
14	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
15	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
16	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**20,96,00,000 (रुपये बीस करोड़ छियानबे लाख मात्र)**

महायोग	20,96,00,000 (रुपये बीस करोड़ छियानबे लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-46/2023/001-2381960(1)/12-2002/8/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।